

न्यायालय सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालौर
पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 57/2021

जीसीएमएस नम्बर 2021/126

अनवान

1. देवेन्द्र पुत्र कानाराम ।
2. विक्रमकुमार पुत्र कानाराम जातियान कलबी, निवासीगण जाजूसन, तहसील सांचौर, जिला जालौर वादी.....
1. पुनमा पुत्र केहरा ।
2. मफी पुत्री करमी जातियान रेबारी निवासीगण बड़सम, तहसील सांचौर, जिला जालौर ।
3. शाखा प्रबन्धक HDFC बैंक शाखा सांचौर ।
4. शाखा प्रबन्धक SBI बैंक शाखा सांचौर ।
5. शाखा प्रबन्धक RMGB बैंक शाखा सांचौर ।
6. सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर, तहसील सांचौर, जिला जालौर ।

प्रतिवादीगण.....

दावा बाबत बंटवाडा एवं जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188
राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :-

1. वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी ।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 6 एकपक्षीय ।
3. राजपैरोकार की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित ।

:-निर्णय:-



दिनांक:- 01.09.2025

1. वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में दिनांक 06.12.2021 मौजा बड़सम पटवार हल्का गोलासन तहसील सांचौर में खेत खसरा नम्बर 325 रकबा 11.56 हैक्टर किस्म चाही दायम जाव दायम, में वादी के वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्से अंश व कब्जे अनुसार व वादपत्र में प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट अ के मध्यनजर भूमि का बंटवाडा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार बंटवाडा किये जाने की प्राथमिक डिक्री के आदेश जारी किये गए थे। तथा तहसीलदार सांचौर से पत्रांक/कोर्ट/2024/292 दिनांक 06.11.2024 के द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार सांचौर द्वारा निर्णय की पालना में मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा प्रस्तावित कर पत्रांक/भूअ./2025/3137 दिनांक 29.07.2025 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किया गया।
2. तहसीलदार सांचौर द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव को उपस्थित पक्षकारान सुनाया गया । वादीगण के अधिवक्ता को सुना गया, जिनके द्वारा किसी प्रकार की विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं करते हुए विभाजन प्रस्ताव अनुसार बंटवाडा किये जाने का निवेदन किया गया। अतः तहसीलदार सांचौर से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार सांचौर द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव



के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे.	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेष में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	देवेन्द्र पुत्र कानाराम हिस्सा 1/2, विक्रम कुमार पुत्र कानाराम हिस्सा 1/2 जातियान कलबी साकिन जाजुसन खातेदार	325	11.56	1.485	चाही दोयम	केसरिया	20.79
				1.32	जाव दोयम		6.60
2.	पुनमाराम पुत्र केहरा हिस्सा 1568/1751 मफी पुत्री करमी हिस्सा 183/1751	325	11.56	5.115	चाही दोयम	पीला	71.61
				3.64	जाव दोयम		18.20

3. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काशत में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।



निर्णय आज दिनांक 01.09.2025 से सरे इजलाज सुनाया गया।


(सहायक कलेक्टर) सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)


सहायक कलेक्टर सांचौर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

डिक्री व मुकदमें इबतदाई
(आर्डर 20, रूल्स 6-7, जाब्ता दीवानी)
(civil procedure code, Appendix "D"-1)
अज अदालत सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालौर
पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

अनवान

1. देवेन्द्र पुत्र कानाराम ।
2. विक्रमकुमार पुत्र कानाराम जातियान कलबी, निवासीगण जाजूसन, तहसील सांचौर, जिला जालौर
वादी.....
1. पुनमा पुत्र केहरा ।
2. मफी पुत्री करमी जातियान रेबारी निवासीगण बड़सम, तहसील सांचौर, जिला जालौर ।
3. शाखा प्रबन्धक HDFC बैंक शाखा सांचौर ।
4. शाखा प्रबन्धक SBI बैंक शाखा सांचौर ।
5. शाखा प्रबन्धक RMGB बैंक शाखा सांचौर ।
6. सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर, तहसील सांचौर, जिला जालौर ।
प्रतिवादीगण.....



अन्तर्गत धारा 53 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 57/2021


यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादी की ओर से वकील श्री सगताराम चौधरी प्रतिवादी संख्या 1 से 6 एकपक्षीय। मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार सांचौर द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे.	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेष में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	देवेन्द्र पुत्र कानाराम हिस्सा 1/2, विक्रम कुमार पुत्र कानाराम हिस्सा 1/2 जातियान कलबी साकिन जाजूसन खातेदार	325	11.56	1.485	चाही दोयम	केसरिया	20.79
				1.32	जाव दोयम		6.60
2.	पुनमाराम पुत्र केहरा हिस्सा 1568/1751 मफी पुत्री करमी हिस्सा 183/1751	325	11.56	5.115	चाही दोयम	पीला	71.61
				3.64	जाव दोयम		18.20

मुकदमा नम्बर 57/2021
अनवान:- देवेन्द्र बनाम पुनमा
निर्णय तारीख 01.09.2025

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मीमोया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 01.09.2025 को जारी की गई



(प्रमोद कुमार)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(सहायक कलेक्टर, सांचौर)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	0	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीशनर	0	00	फीस कमीशनर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	3	00	मौजाना	0	00

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलेक्टर, सांचौर